

न्यूजीलैंड से व्यापार समझौता से कारोबार को उड़ान

जागरण संवाददाता, वाराणसी: भारत और न्यूजीलैंड के बीच रिकार्ड नौ महीनों में संपन्न मुक्त व्यापार समझौता (एफटीए) काशी और पूर्वांचल के लिए वैश्विक व्यापार के नए द्वार खोलने वाला साबित होगा। फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट आर्गनाइजेशन समेत कई अन्य उद्योग व व्यापारिक संगठनों ने इस ऐतिहासिक समझौते का स्वागत करते हुए इसे भारत-न्यूजीलैंड की आर्थिक साझेदारी का मजबूत स्तंभ बताया है।

एफटीए के तहत भारत के 100 प्रतिशत निर्यात पर शून्य शुल्क लागू होगा, जिससे बनारस के हथकरघा, बनारसी सिल्क, रेडीमेड गारमेंट, कालीन, चमड़ा उत्पाद और कारीगर-आधारित एमएसएमई इकाइयों को सीधा लाभ मिलेगा। काशी के बुनकरों, कारीगरों और महिला नेतृत्व वाले उद्यमों के लिए न्यूजीलैंड एक नया, स्थिर और उच्च मूल्य वाला बाजार बनकर उभरेगा। समझौते से

- बुनकरों, कारीगरों व महिला नेतृत्व वाले उद्यमों के लिए न्यूजीलैंड एक नया, स्थिर और उच्च मूल्य वाला बाजार बनकर उभरेगा



- एफआईओ समेत बनारस के व्यापार व उद्योग जगत ने बताया ऐतिहासिक समझौता



यह एफटीए काशी के बुनकरों, कारीगरों और एमएसएमई को वैश्विक बाजार से जोड़ने वाला ऐतिहासिक अवसर है।

-आरके चौधरी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन।



20 अरब डालर का संभावित निवेश पूर्वांचल में रोजगार, विनिर्माण और बुनियादी ढांचे को मजबूत करेगा।

-आलोक श्रीवास्तव, सहायक निदेशक, भारतीय निर्यात संगठन महासंघ (फियो)।



शून्य शुल्क निर्यात से बनारसी सिल्क, हस्तशिल्प और परिधान उद्योग को नई पहचान और स्थायी मांग मिलेगी।

-डीएम पाठक, अध्यक्ष, बनारसी वस्त्र उद्योग एसोसिएशन।



छात्रों और पेशेवरों के लिए वीजा प्रविधान काशी की युवा प्रतिभाओं को अंतरराष्ट्रीय मंच तक पहुंचाएंगे।

-श्रीनारायण खेमका, उद्यमी।

इंजीनियरिंग, विनिर्माण, आटोमोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स, मशीनरी, फार्मा और केमिकल्स जैसे क्षेत्रों में भी अवसर बढ़ेंगे। कृषि क्षेत्र में यह एफटीए बनारस मंडल के किसानों के लिए नई संभावनाएं लेकर आया है। फल, सब्जियां, अनाज, मसाले, काफी और

प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादों को न्यूजीलैंड के बाजार में बेहतर पहुंच मिलेगी। साथ ही उन्नत कृषि-प्रौद्योगिकी, उत्पादकता साझेदारी और उत्कृष्टता केंद्रों से किसानों की आय और गुणवत्ता दोनों बढ़ेंगी। घरेलू हितों को ध्यान में रखते हुए डेरी, चीनी और

खाद्य तेल जैसे संवेदनशील क्षेत्रों की सुरक्षा भी सुनिश्चित की गई है। सेवा क्षेत्र में आइटी, शिक्षा, पर्यटन और निर्माण से जुड़े काशी के युवाओं को स्टडी, पोस्ट-स्टडी वर्क और वर्किंग हालिडे वीजा जैसे प्रविधानों से अंतरराष्ट्रीय अवसर मिलेंगे।